महत्वपूर्ण

संख्या: 5126/आठ-3-11-177 विविध/2010

प्रेषक,

आलोक कुमार,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. आवास आयुक्त,
उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद्
लखनऊ।

2. उपाध्यक्ष,
समस्त विकास प्राधिकरण
उत्तर प्रदेश।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-3 लखनऊः दिनाँक 15 नवम्बर, 2011

विषयः-सुनियोजित विकास के लिए आवास विकास परिषद् तथा विकास प्राधिकरणों द्वारा भूमि जुटाव की प्रकिया में आवश्यक संवीक्षा करने के संबंध में।

महोदय,

आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के नियंत्रणाधीन प्रदेश के समस्त विकास प्राधिकरणों तथा उ0प्र0 आवास विकास परिषद् द्वारा सुनियोजित विकास के लिए तैयार की गई परियोजनाओं के लिए चिन्हित भूमि की अर्जन की कार्यवाही की जाती है। इन योजनाओं के अन्तर्गत आने वाली ग्राम समाज/स्थानीय निकायों/ सरप्लस सिलिंग भूमि/ अन्य शासकीय भूमि को अर्जन प्रस्ताव में सम्मिलित न करने के संबंध में शासन के राजस्व विभाग द्वारा समय-समय पर निर्देश निर्गत किये गये हैं चूँकि उपरोक्त प्रकार की भूमियों को प्राप्त करने की पृथक से प्रकिया निर्धारित है।

कई प्रकरणों में शासन के संज्ञान में यह आया है कि ग्राम समाज/ स्थानीय निकायों/ सरप्लस सिलिंग भूमि/ अन्य शासकीय भूमि पर स्वामित्व के संबंध में पर्याप्त छानबीन नहीं की जाती है और बाद में योजनाओं के क्रियान्वयन के समय इस स्थिति का सामना करना पड़ता है कि संबंधित शासकीय संस्थाओं से भूमि प्राप्त करने के उपरान्त स्वामित्व के संबंध में विवाद सामने आते हैं। ऐसे विवादों के कारण जहाँ एक ओर विकास योजनाओं का क्रियान्वयन प्रभावित होता है वहीं दूसरी और विवाद उत्पन्न करने वाले निजी व्यक्तियों अथवा संस्थाओं की बार्गेनिंग पावर बढ़ जाती है चूँकि सुनियोजित विकास की योजनाओं के दृष्टिगत भूमि का मूल्य बढ़ जाता है और कभी-कभी ऐसे विवाद निर्माण कार्यो में धनराशि व्यय करने के उपरान्त सामने लाये जाने की स्थिति में व्यय की गई धनराशियों के व्यर्थ होने की भी स्थिति उत्पन्न हो जाती है।

अतः सम्यक विचारोपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सुनियोजित विकास की विभिन्न परियोजनाओं के लिए भूमि जुटाव के दौरान ग्राम

समाज/स्थानीय निकायों/ सरप्लस सिलिंग भूमि/ अन्य शासकीय भूमियों के टाईटिल की गहन जॉच करा ली जाय और इन पर किसी प्रकार का कोई थर्ड पार्टी राईट/पट्टा अथवा विवाद न होने का प्रमाण–पत्र भी संबंधित प्राधिकारी (यथा जनपद स्तर पर राजस्व प्रशासन/स्थानीय निकायों के संबंधित अधिकारी/ जिलाधिकारी) से प्राप्त कर लिया जाय। इस संबंध में कृपया स्पष्ट एवं कड़े स्थानीय अनुदेश जारी करके उपरोक्तानुसार गहन छानबीन करने तथा आवश्यक प्रमाण–पत्र प्राप्त करने के लिए स्पष्ट जिम्मेदारी निर्धारित कर दी जाय ताकि इस संबंध में कोई भी उदासीनता अथवा शिथिलता बरते जाने की स्थिति में संबंधित जिम्मेदार बनाये अधिकारी के विरूद्ध कठोर कार्यवाही करायी जा सके।

भवदीय,

(आलोक कुमार)
सचिव

संख्या– 5126(1)/ आठ–3–11–177 विविध/ 2010, तद्दिनॉकः–

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख सचिव, राजस्व/ नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
2. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
4. समस्त विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
5. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अजय दीप सिंह)
विशेष सचिव